प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

विशेष प्रतिवेदन

लोक लेखा समिति- प्रकाशन संख्या- 370

सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

लोक लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या - 361

राज्य में "प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना" के कार्यान्वयन में हो रहे विलम्ब पर विशेष प्रतिवेदन ।

उपस्थापन की तिथि......................

प्रतिवेदन संख्या 361

विषय-सूची

क्रमांक		पृष्ठ संख्या
1	लोक लेखा समिति के सदस्यगण	क
2	लोक लेखा समिति की उप-समिति (2) के सदस्यगण	ख
3	महालेखाकार, वित्त विभाग कार्यालय एवं बिहार विधान-सभा सचिवालय	ग
4	प्राक्कथन	5
5	प्रतिवेदन निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं	1-7
6	अनुलग्नक	8-13

क

मुख्य लोक लेखा समिति के सदस्यगण
वर्ष- 2001-2002 ।

सभापति

1.	श्री रामदेव वर्मा,	स0वि0स0

सदस्यगण:

2.	श्री मुनेश्वर चौधरी,	स0वि0स0
3.	श्री रामचन्द्र राय,	स0वि0स0
4.	श्री यदुवंश कुमार यादव,	स0वि0स0
5.	श्री शोभाकान्त मंडल,	स0वि0स0
6.	श्री गिरिधारी यादव,	स0वि0स0
7.	श्री मुनीलाल यादव,	स0वि0स0
8.	श्री प्रेम कुमार,	स0वि0स0
9.	श्री राम नारायण मंडल,	स0वि0स0
10.	श्री प्रभू दयाल सिंह,	स0वि0स0
11.	श्री हरि नारायण सिंह,	स0वि0स0
12.	श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,	स0वि0स0
13.	श्री रामनाथ ठाकुर,	स0वि0स0
14.	श्री चण्डी प्रसाद,	स0वि0प0
15.	श्री बालदेव महतो,	स0वि0प0
16.	प्रो0 नवल किशोर यादव,	स0वि0प0
17.	श्री वालेश्वर सिंह भारती,	स0वि0स0
18.	डा0 मु0 शमीम,	स0वि0प0

लोक लेखा समिति की उप समिति (2) के सदस्यगण:-

सभापति:

1. श्री राजीव वर्मा, स0वि0स0

संयोजक:

2. श्री मुनेश्वर चौधरी, स0वि0स0

सदस्यगण:

3. श्री रामचन्द्र राय, स0वि0स0
4. श्री राम नाथ ठाकुर, स0वि0स0
5. श्री मुनी लाल यादव, स0वि0स0
6. डा0 मो0 शमीम, स0वि0प0

महालेखाकार कार्यालय

1. श्री एफ0 कुजूर, प्रधान महालेखाकार, बिहार एवं झारखंड, राँची ।
2. श्री वीरेन्द्र कुमार, महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1, बिहार एवं झारखंड, पटना ।
3. श्री मान सिंह, उप महालेखाकार, पटना ।
4. श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, पटना ।
5. श्री ओम प्रकाश सिंह, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, पटना ।
6. श्री केदार नाथ प्रसाद सिन्हा, वरीय लेखा परीक्षक, पटना ।
7. श्री चन्द्रनाथ मिश्र, वरीय लेखा परीक्षक, पटना ।
8. श्री ललित शंकर मिश्र, वरीय लेखा परीक्षक, पटना ।

वित्त विभाग

1. श्री एम0 एन0 प्रसाद, वित्त आयुक्त, बिहार, पटना ।
2. श्री एस0 के0 केशव, अपर वित्त आयुक्त, बिहार, पटना ।
3. श्री बैद्यनाथ मिश्र, अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना ।
4. श्री फुलेश्वर पासवान, बजट पदाधिकारी सह उप-सचिव

बिहार विधान-सभा सचिवालय

1. श्री जै0 पी0 पाल, सचिव ।
2. श्री नवल किशोर सिंह, उप-सचिव ।
3. श्री राधाकृष्ण रजक, अवर सचिव ।
4. श्री त्रिपुरारी प्रसाद, अवर सचिव ।
5. श्री जगदेव पासवान, प्रशासी पदाधिकारी ।
6. श्री नन्द किशोर प्रसाद सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी ।
7. श्री टेक नारायण झा, प्रशाखा पदाधिकारी ।
8. श्री शिबपूजन प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी ।
9. श्री बेचन मंडल, प्रधान टंकक ।

50

प्राक्कथन

जनतांत्रिक संस्थाओं की बजटरी प्रावधानों एवं उसके कार्यान्वयन पर उसकी कड़ी पकड़ ही जनतांत्रिक व्यवस्था का सार तत्व है । आजादी के बाद भारत में जनतांत्रिक संस्थाओं का नेतृत्व वैसे लोगों के हाथों में हस्तगत् हुआ जो आजादी के दरम्यान निःस्वार्थ एवं त्याग की भावनाओं से प्रेरित तथ्यों के बीच तपे-तपाये हुये थे। आजादी के लम्बे अर्से तक देश में जनतांत्रिक संस्थाओं का नेतृत्व उनके रहने के कारण एक हद तक नौकरशाही पर अंकुश था । देश की जनतांत्रिक का नेतृत्व करने वालों की पकड़ नौकरशाही पर ढीली होती गई एवं नौकरशाही की दखल अंदाजी बढ़ती गई । साथ ही साथ जनतांत्रिक ताकतों के हाथों से बजटरी प्रावधानों एवं उन पर अंकुश धीरे-धीरे खिसकने लगा और वह क्रमशः नौकरशाहों के हाथों हस्तगत होने लगा जिसके परिणामस्वरूप आज वित्तीय अनियमितताओं का स्पष्ट स्वरूप दिखाई पड़ रहा है । इसके साथ-साथ आजादी के बाद से ही राज्य में विकास संबंधी राशि को निर्धारित समय एवं सही रूप में कार्यान्वयन करने के रास्तों को सुलभ करने के बदले इस राशि का एक हिस्सा हड़पने के इरादें से कार्यान्वयन की प्रक्रिया को लगातार जटिलतर किया जाता रहा है । इस कार्य में राज्य की नौकरशाही की अहम् भूमिका रही है ।

भारत के संविधान निर्माताओं ने देश के अन्दर जनतांत्रिक ढाँचे के रास्ते को अपनाने के साथ-साथ इस ढाँचे को मजबूती प्रदान करने के इरादे से कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच बजटरी प्रावधानों एवं उनकी छानबीन तथा उन पर अंकुश लगाने का कार्यान्वयन की स्वतंत्र जवाबदेही लोक लेखा समितियों को सौपी है । इसी उद्देश्य से इस प्रतिवेदन तैयार करने के पीछे लोक लेखा समिति का मुख्य उद्देश्य यह है कि वर्तमान में राज्य के अन्दर विकास के कार्यो को कार्यान्वयन में पिछले कई दशकों से राज्य की नौकरशाही ने अपनी पकड़ को बढ़ाने और विकास की निर्धारित राशि का एक भाग हड़पने के इरादे से कार्यान्वयन की प्रक्रिया में लायी गई तमाम जटिलतर बाधाओं को तोड़ने एवं राज्य के विकास के गति को बढ़ाना है । यह भी विदित हे कि लोक लेखा समिति "जनता के तिजोड़ी का नियंत्रक" बताया गया है । इसी रोशनी में बिहार विधान सभा को लोक लेखा समिति ने राज्यहित में इस प्रतिवेदन को तैयार की है । इस प्रतिवेदन को दिनांक 9.3.2002 को मुख्य समिति ने सर्वसम्मत से पारित किया ।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने में ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन) तत्तपरता दिखाई जिसके कारण समिति मात्र चार बैठकों में ही इसे निष्पादित करने में सफल हो सकी है । समिति पर माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा की विशेष कृपा रही हे । इनके अत्यावश्यक सहयोग के बिना यह कार्य सम्पादित नहीं हो सकता था । इसके लिए समिति के तमाम माननीय सदस्य, सचिव, विधान सभा, लोक लेखा समिति के पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं अनुसेवकों के साथ-साथ रिपोर्टरों, टंककों, वाल्मी के पदाधिकारियों, अभियंताओं, कर्मचारियों एवं महालेखाकार के पदाधिकारियों को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता हूँ । इसके लिए वित्त विभाग एवं महालेखाकार के पदाधिकारीगण भी धन्यवाद के पात्र है । अन्त में तमाम सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ ।

रामदेव वर्मा
9.3.2002

रामदेव वर्मा
सभापति
लोक लेखा समिति
बिहार विधान सभा, पटना

पटनाः-
तिथि 9 मार्च, 2002

प्रतिवेदन

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2000-2001 में प्रत्येक राज्य में वैसे राजस्व ग्रामों को जिनकी आबादी 5 सौ से अधिक है उन तमाम ग्रामों को वर्ष 2000 से 2007 के बीच वर्तमान उपलब्ध पक्की सड़को पक्की सड़क से निर्माण कर जोड़ने सम्बंधी " प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना " की शुरूआत को इस योजना का खर्च वहन शत प्रतिशत केन्द्र सरकार करेगी ।प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कुल निर्मित सड़कों की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन और इस राशि के खर्च करने की अवधि 2वर्ष निर्धारित है । इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2000-2001 में कुल 815.63 कि0 मी0 सड़को की लम्बाई में निर्माण कार्य पूरा करना था तथा इसमें 145.55 करोड़ रूपये खर्च कीजानी थी । वित्तीय वर्ष 2000-01 के तहत भारत सरकार से दो किस्तों में बिहार सरकार को इस मद में 15 मार्च 2001 और 31 मार्च 2001 को कुल 149.00 करोड़ 90.00 लाख रूपये प्राप्त हुए । इसी वित्तीय वर्ष में कुल 815.63 कि0 मी0 सड़को के निर्माण हेतु चयन प्राक्कलन और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के साथ- साथ निविदा का निष्पादन तथा सड़को का निर्माण कार्य शुरू कर देना था । परन्तु 31 मार्च 200 को ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा कुल 149.90 करोड़ रूपये की राशि की निकासी कर उसे सिविल डिपोजिट शीर्ष में जमा किया गया, जिसे माह मई 2001 में राज्य के सभी उप विकास आयुक्तों को भेजा गया । जिसें अनुलग्नकों में देखा जा सकता हे । दिनांक 9.3.2002 तक वर्ष 2000-01 की कुल 107 निविदाओं में से 29 निविदाओं का हीं निष्पादन किया जा सका है । और सभी संबंधी कार्य प्रमंडलों को एकरारनामा का कार्य प्रारंभ करने का विभाग द्वारा निर्देश दिया गया है । अभी तक सम्पूर्ण राज्य में इस मद में खर्च की गई राशि की सूचना राज्य सचिवालय को मात्र [illegible] जिला से प्राप्त हई है जो मात्र 1.50 लाख रूपये खर्च की सूचना है ।

यह राज्य की प्रशासनिक और कार्यान्वयन संबंधी तंत्रों की गम्भीर अक्षमता का जीता-जागता उदाहरण है । इस निर्माण कार्य की निर्धारित अवधि 2000-2001 से 2001-02 के 31मार्च तक ही है। अब मात्र [illegible] दिन हीं बचे हुए है। राज्य सरकार को इन कार्यो को पूरा करने हेतु 2 वर्ष और बढ़ाने की अनुशंसा केन्द्र सरकार से करना पड़ेगा ।

यह विदित है कि वित्तीय वर्ष 2001-02 में इस योजना के तहत राज्य में निर्मित होने वाली सड़कों का निर्माण संबंधी कार्यो की वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार 9 मार्च 2002 तक मात्र 285करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेज पायी है, तो निविदा और निर्माण का सवाल हीं कहाँ उठता है । अभी तो भारत सरकार से इस संबंध में भेजे गये प्रस्ताव की स्वीकृति मिलना बाकी है ।

इस स्थिति से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य सरकार राज्य की जनता के प्रति प्रतिबद्धता में गंभीर कमी है । राज्य के विकास के प्रति राज्य सरकार अपनी चिन्ता को प्रदर्शित नहीं कर पा रही है, अन्यथा इस योजना की स्थिति आज दूसरी होती ।इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि राज्य के विकास में वर्तमान कार्य प्रणाली में निश्चित रूप से अनावश्यक बाधक मौजूद है जिसे अविलम्ब सुधारा जाना जरूरी है ।

इन योजनाओं को पूरा नहीं किये जाने के पीछे राज्य के ग्रामीण अभियंत्रण, संगठन का अलग स्वरूप 1965 में ही दिया गया है । उस वक्त इन्हें सीमित कार्य निर्धारित थे जिस कारण इस संगठन को अभियंताओं की उपलब्धता कराये जाने का प्रावधान पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है । आगे चलकर इनके कार्यो का सिलसिला बढ़ता गया परन्तु बढ़ते कार्यो के अनुरूप इसकी संरचना के गठन पर गम्भीरता से सरकार के तरफ से विचार नहीं किया जा सका । आश्चर्य की बात यह है कि गत 2 वर्षो में भी इस संगठन पर निर्माण के कार्यो का भार अति बढ़ाने का निर्णय सरकार ने ले ली परन्तु निर्णय लेते वक्त इन बड़े कार्यो के अनुरूप यह संगठन कार्य कर सकें, इसके लिये कार्य बढ़ाते वक्त हीं राज्य सरकार को आवश्यक संरचनात्तकों की पूर्त्ति की बाधाओं को भी तत्काल यानि 2 वर्ष पूर्व हीं दूर करने हेतु कदम उठाया जाना चाहिये था । जिसे नहीं उठाया गया जिसका परिणामृ है कि राज्य में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की यह दयनीय स्थिति है ।

यह भी विदित है कि ग्रामीण अभियंत्रण संगठन का वर्त्तमान ढांचा एक हद तक 1965 से ही अस्थायी है जो नीचे लिखे सूची से स्पष्ट हो जाता है :-

ग्राम्य अभियंत्रण संगठन अस्थायी कार्यालय की सूची

1. अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त -सह- विशेष सचिव ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, बिहार,पटना ।
2. मुख्य अभियंता-4, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, पटना
3. अधीक्षण अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल सासाराम
4. अधीक्षण अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल बेतिया
5. अधीक्षण अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल सहरसा
6. कार्यपालक अभियंता ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल मसौढी
7. कार्यपालक अभियंता ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल शेरघाटी
8. कार्यपालक अभियंता ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल हिलसा
9. कार्यपालक अभियंता ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल बाँका
10. कार्यपालक अभियंता ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल शेखपुरा
11. कार्यपालक अभियंता ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल जमुई
12. कार्यपालक अभियंता ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल बक्सर
13. कार्यपालक अभियंता ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल भभुआ
14. कार्यपालक अभियंता ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल शिवहर
15. कार्यपालक अभियंता ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल बगहा
16. कार्यपालक अभियंता ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल ढ़ाका
17. कार्यपालक अभियंता ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल बेनीपुर
18. कार्यपालक अभियंता ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल झंझारपुर
19. कार्यपालक अभियंता ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल रोसड़ा
20. कार्यपालक अभियंता ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल किशनगंज
21. कार्यपालक अभियंता ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल सुपौल
22. कार्यपालक अभियंता ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल अररिया
23. कार्यपालक अभियंता ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी
24. कार्यपालक अभियंता ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, मिट्टी अन्वेषण प्रमंडल,पटना
25. कार्यपालक अभियंता ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, मिट्टी अन्वेषण प्रमंडल,मुजफ्फरपुर
26. कार्यपालक अभियंता ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, मिट्टी अन्वेषण प्रमंडल पूर्णियाँ

ग्राम्य अभियंत्रण संगठन के अस्थायी पदों की संख्या 1008 है जिनमें से 79 पद रिक्त । यह भी विदित है कि राज्य में इस संगठन के अन्तर्गत कुल 19 प्रमंडल अस्थाई है । इन्हें बराबर वित्ती वर्ष के अन्तिम तिमाही में चेक प्राधिकार पत्र प्राप्त करने का अधिकार मात्र 31 मार्च तक के लिए हीं मिला करता है । जिसे निम्न स्वरूप में देखा जा सकता है ।

ग्राम्य अभियंत्रण संगठन के विभिन्न प्रमंडलों को महालेखाकार द्वारा निर्गत चेक प्राधिकार पत्र की विवरणी
महालेखाकार से चेक प्राधिकार प्राप्त करने की अद्यतन स्थिति :-

क्रम सं0	अस्थायी प्रमंडल का नाम	वर्ष	प्राधिकार पत्र प्राप्ति का माह	वर्ष	प्राधिकार पत्र प्राप्ति का माह	वर्ष	प्राधिकार प प्राप्तिकामाह
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ग्रा0अ0सं0.कार्य प्रमंडल बेनीपुर	1999-2000		2000-01	फरवरी 01	2001-02	जनवरी 02
2.	ग्रा0अ0सं0.कार्य प्रमंडल,बगहा			2000-01	जनवरी 01	2001-02	जनवरी 02
3	ग्रा0अ0सं0.कार्य प्रमंडल,ढ़ाका			2000-01	फरवरी 01	2001-02	जनवरी 02
4	ग्रा0अ0सं0.कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी	1999-2000	जनवरी 2000	2000-01	फरवरी 01	2001-02	फरवरी 02
5	ग्रा0अ0सं0.कार्य प्रमंडल हिलसा	1999-2000		2000-01	जनवरी 01	2001-02	जनवरी 02
6	ग्रा0अ0सं0.कार्य प्रमंडल अररिया	1999-2000	जनवरी 2000	2000-01	फरवरी 01	2001-02	जनवरी 02
7	ग्रा0अ0सं0.कार्य प्रमंडल झंझारपुर	1999-2000	फरवरी 2000	2000-01	फरवरी 01	2001-02	जनवरी 02
8	ग्रा0अ0सं0.कार्य प्रमंडल जमुई	1999-2000	जनवरी 2000	2000-01	जनवरी 01	2001-02	फरवरी 02
9	ग्रा0अ0सं0.कार्य प्रमंडल रोसडा	1999-2000	फरवरी 2000	2000-01	फरवरी 01	2001-02	जनवरी 02
10	ग्रा0अ0सं0.कार्य प्रमंडल शेखपुरा			2000-01	फरवरी 01	2001-02	फरवरी 02
11	ग्रा0अ0सं0.कार्य प्रमंडल किशनगंज	1999-2000	मार्च 1999	2000-01	फरवरी 01	2001-02	फरवरी 02
12	ग्रा0अ0सं0.कार्य प्रमंडल भभुआ			2000-01		2001-02	जनवरी 02
13	ग्रा0अ0सं0.कार्य प्रमंडल बांका			2000-01	फरवरी 01	2001-02	फरवरी 02
14	ग्रा0अ0सं0.कार्य प्रमंडल मसौढ़ी			2000-01	दिसम्बर 2000	2001-02	जनवरी 02
15	ग्रा0अ0सं0.कार्य प्रमंडल शिवहर	1999-2000	जनवरी 2000	2000-01	जनवरी 01	2001-02	जनवरी 02
16	ग्रा0अ0सं0.कार्य प्रमंडल शेरघाटी	1999-2000	फरवरी 2000	2000-01	फरवरी 01	2001-02	18.2.02तक अप्राप्त
17	ग्रा0अ0सं0.कार्य प्रमंडल बक्सर	1999-2000	फरवरी 2000	2000-01	फरवरी 01	2001-02	अक्टूबर 01
18	ग्रा0अ0सं0.कार्य प्रमंडल सुपौल			2000-01	मार्च 01	2001-02	जनवरी 02
19	ग्रा0अ0सं0.मिट्टी अन्वेषण मुजफ्फरपुर प्रमंडल			2000-01	फरवरी 01	2001-02	नवम्बर 01

विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2000-01 की योजना के निविदा निष्पादन में विलम्ब होने संबंधी कारणों को समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये कारण :-

(i) यद्यपि भारत सरकार से प्राप्त राशि की निकासी 31 मार्च 2001 को कर ली गई, परन्तु भारत सरकार द्वारा नामित एजेन्सी यथा केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CRRI) नई दिल्ली द्वारा योजनाओं का तकनीकी अनुमोदन 25 अप्रैल 2001 को दिया गया ।

(ii) पंचायत निर्वाचन 2001 में ग्राम्य अभियंत्रण संगठन के लगभग सभी प्रमंडलों के अभियंता प्रतिनियुक्त थे, इसलिए तकनीकी अनुमोदन के आधार पर विस्तृत प्राक्कलन प्रस्तुत करने का कार्य ग्राम्य अभियंत्रण संगठन के प्रमंडलों में माह जून 2001 से प्रारम्भ हुआ । प्रत्येक पथ के लिए मिट्टी का नमूना लेकर उसका सी0बी0आर0 मान (C.B.R Value) निकाल कर उसके आधार पर विस्तृत प्राक्कलन प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी । मिट्टी के नमूनों की जाँच के लिए ग्राम्य अभियंत्रण संगठन के पास मात्र तीन अग्रिम योजना कार्य प्रमंडल यथा- पटना, पूर्णियाँ एवं मुजफ्फरपुर उपलब्ध थे । आधारभूत संरचना की कमी के चलते मिट्टी के नमुनों की जाँच करने में विलम्ब हुआ, जिसके कारण विस्तृत प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति माह अगस्त 2001 तक दिया जा सका ।

(iii) दिनांक 14-11-2000 के पश्चात ग्राम्य अभियंत्रण संगठन के मुख्य अभियंता के स्वीकृत तीन पद तथा अभियंता प्रमुख के स्वीकृत एक पद के विरूद्ध कवल एक ही पदाधिकारी यथा श्री टी0 सोरेंग कार्यरत रहे । उल्लेख्य है कि मुख्य अभियंता का एक पद निरूपण (Design) के लिए है जिनके स्तर से योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति सामान्यत: दी जाती है । इस पद के रिक्त रहने के चलते तकनीकी स्वीकृति में मुख्यालय स्तर पर यभी विलम्ब हुआ ।

(iv) 107 पैकेजों के लिए निविदाएँ दिनाक 5 अक्टूबर 2001 को विभिन्न कार्यालयों में प्राप्त की गई । इस तिथि के पश्चात यह पाया गया कि 107 में से 17 पैकेजों क लिए कोई भी निविदा नहीं डाली गई । छान -बीन करने पर यह पता चलता कि 17 पैकेजों में से 14 में निविदा नहीं पड़ने का कारण दरों की अनुसूची का पुनरीक्षण था । उदाहरणस्वरूप दरभंगा अंचल की दरों का पुनरीक्षण माह सितम्बर 2001 के लगभग प्राप्त हुई, जिसके आधार पर पुन: विस्तृत प्राक्कलन का पुनरीक्षण कर उस पर तकनीकी स्वीकृति देने का कार्य करना पड़ा।

(v) क- मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के ज्ञापांक 254 दिनांक 24.2.86 द्वारा यह निर्देश जारी किया गया था कि सभी कार्य विभागों में निविदा स्वीकृत करने की शक्ति निम्न प्रकार होगी :-

(i) कार्यालक अभियंता- एक लाख रूपए की निविदा,

(ii) अधीक्षण अभियंता- बीस लाख रूपए की निविदा,

(iii) मुख्य अभियंता- एक करोड़ रूपए की निविदा,

(iv) एक करोड़ रूपए से अधिक की निविदा विभागीय स्तरपर गठित निविदा समिति की अनुशंसा पर स्वीकृत की जाएगी । निविदा समिति उसी रूप और स्तर की होगी, जिस रूप और स्तर की सिंचाई विभाग में गठित है ।

ख- सिचाई विभाग (वर्त्तमान जल संसाधन विभाग) की जिस निविदा समिति का उल्लेख मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के उपर्युक्त ज्ञाप में किया गया, वह सिंचाई विभाग के पत्रांक 9/ एम-6047/78-1825 दिनांक 9.6.78 द्वारा गठित हुआ था । उल्लेख्य है कि मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के उपर्युक्त ज्ञाप में विभिन्न स्तर पर निविदा निपटारा की शक्ति भी सिंचाई विभाग के वर्ष 1978 के पत्र दिनांक 9.6.78 पर ही आधारित है ।

ग- सिंचाई विभाग के उपर्युक्त पत्र तथा मंत्रिमंडल (निगरानी)विभाग के उपर्युक्त ज्ञाप के आलोक में एक करोड़ रूपए से अधिक राशि की हर निविदा का निपटारा निम्नलिखित सदस्यता की विभागीय निविदा समिति द्वारा किया जाना है :-

(i) विभागीय सचिव या उनके प्रतिनिधि

(ii) अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव

(iii) आंतरिक वित्तीय सलाहकार

(iv) संबंधित उपभाग के मुख्य अभियंता

घ- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की निविदाओं के निपटारा के लिए पड़ोसी राज्यों में अपनाई जा रही प्रक्रिया की सूचना निम्नवत है :-

राज्य	निविदा निपटारा की शक्ति
क- पश्चिम बंगाल	जिला परिषद को प्रत्यायोजित
ख- उड़ीसा	दो करोड़ रूपये तक मुख्य अभियंता को प्रत्यायोजित
ग- उत्तर प्रदेश	मुख्य अभियंता को प्रत्यायोजित
घ- मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का गठन किया गया । 10 करोड़ रूपए तक की निविदाओं का निपटारा प्रमडलीय आयुक्त स्तर पर गठित समिति द्वारा की जा रही है।

(vi) मंत्रिमंडल (निगरानी)विभाग के ज्ञापांक 25 दिनांक 24.2.86 द्वारा निर्गत निर्देश के अनुसरण में ग्राम्य अभियंत्रण संगठन (ग्रामीण विकास विभाग) में एक करोड़ रूपए से अधिक की निविदाओं के निपटारा के लिए विभागीय सचिव, अभियंता प्रमुख, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार तथा संबंधित उपभाग के मुख्य अभियंता की सदस्यता में चार सदस्यीय निविदा समिति गठित की गई है । दिनांक 30-11-2001 को श्री टी० सोरेंग की सेवा निवृत्ति के पश्चात अभियंता प्रमुख का पद दिनांक 30.12.2001 तक रिक्त रहा । इस अवधि में विभागीय निविदा समिति की कोई बैठक आयोजित नही की जा सकी । मुख्य अभियंता के सभी तीनों पद रिक्त रहने के चलते विभागीय निविदा समिति की बैठक तीन सदस्यों की उपस्थिति में ही माह नवम्बर 2001 से आयेजित की जा रही है ।

(vii) दिनांक 31.12.2001 को श्री रामनारायण झा, मुख्य अभियता, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा को अपने कार्यो के अतिरिक्त प्रभारी अभियंता प्रमुख, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन के पद पर अधिसूचित किया गया । श्री झा के दरभंगा तथा पटना दोनों कार्यालयों का कार्यभार सम्भालने के चलते विभागीय निविदा समिति की बैठकें दिनांक 2 जनवरी 2002, 12 जनवरी 2002, 23 जनवरी 2002 तथा 31 जनवरी 2002 को ही आयोजित की जा सकी । इनमें 14 निविदाओं के निपटारा का कार्य सम्पन्न हो सका ।

(viii) दिनांक 31.1.2001 को श्री रामनारायण झा, की सेवा निवृति के पश्चात अभियंता प्रमुख, का पद दिनांक 20 फरवरी 2002 तक रिक्त रहा । इसके पश्चात् श्री प्रमोद कुमार, मुख्य अभियंता, (निरूपण) पथ निर्माण विभाग को अपने कार्यो के अतिरिक्त प्रभारी अभियंता प्रमुख, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन के पद पर अधिसूचित करने से विभागीय निविदा समिति क बैठकें पुनः आयोजित हो रही है । दिनांक 27 फरवरी 2002 तथा 4 मार्च 2002 को विभागीय निविदा समिति की बैठकें पुनः आयोजित की गई जिनमें कुल 13 निविदाओं का निपटारा किया गया । दिनांक 7 मार्च 2002 को समाचार पत्रों के माध्यम से 37 पैकेजों के लिए पुनर्निविदा आमंत्रित करने की कार्रवाई की गई, जिसके लिए दिनांक 21 मार्च 2002 को निविदा प्राप्ति की तिथि निर्धारित की गई है ।

(ix) वर्ष 2001-02 के लिये इस योजना के तहत लगभग 300.00 करोड़ रूपये की राशि बिहार के लिए कर्णाकित है । जिनमें 285.57 करोड़ रूपये की परियोजना जो 34 जिलों से सम्बन्धित है, के अनुमोदन के लिए भारत सरकार स्तर पर गठित प्राधिकृत समिति की बैठक दिनांक 6 मार्च 2002 को दिल्ली में आयोजित की गई । बैठक के आलोक में इस परियोजना की स्वीकृति संभावित है । शेष 4 जिलों की परियोजना अगले हफ्ते भेजी जा रही है जिसकी स्वीकृति भी तत्पश्चात् प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है ।इन परियोजनाओं की स्वीकृति के 9माह के अन्दर भारत सरकार द्वारा नामित तकनीकी एजेंसी द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करना, राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करना, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन द्वारा विस्तृत प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना तथा निविदा आमंत्रित करना, विभागीय निविदा समिति के माध्यम से निविदाओं का निपटारा तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि भारत सरकार द्वारा निर्धारित हैं । वर्ष

2000-01 की लम्बित 79 निविदाओं तथा वर्ष 2001-02 की संभावित 225 निविदाओं का निपटारा इस प्रकार अगले कुछ माह के अन्दर अपेक्षित है ।

चूँकि हर निविदा एक करोड़ से अधिक राशि के लिए है तथा काफी संख्या में निविदाओं के विरूद्ध संवेदकों, माननीय विधान मंडल सदस्यों तथा अन्य श्रोतों से शिकायतें प्राप्त हुई है, अतएव विभिन्न एजेंसियों से जाँचोपरान्त प्रतिवेदन प्राप्त कर इनकी पूर्ण समीक्षा के पश्चात् निविदा समिति द्वारा इन पर कोई अनुशंसा की जा सकती है ।

3- ग्राम्य अभियंत्रण संगठन के अस्थायी पदों की सूचना

उत्तरवर्त्ती बिहार मे ग्राम्य अभियंत्रण संगठन के अधीन अस्थायी कार्यालयों की सूची अनुलग्नक -4 के रूप में संलग्न की जा रही है । अभियंता प्रमुख को छोड़कर अन्य अस्थाई पदों के सृजन के सम्बन्ध में निर्गत आदेश सं0 10606 दिनांक 8 सितम्बर 1986 की प्रतिलिपि अनुलग्नक-5 के रूप में संलग्न है । इसके पठन से ज्ञात होता है कि अविभाजित बिहार में मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता तथा कार्यपालक अभियताओं के अस्थाई पदों का सृजन अन्तिम बार वर्ष 1986 में हुआ है । अभियंता प्रमुख के अस्थायी पद सृजन की सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं हो रही है ।

4- अनुरोध है कि माननीय समिति को कृपया उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराने की कृपा की जाय ।

आज मात्र ग्रामीण अभियंत्रण संगठन में ही अधीक्षण अभियंताओं या मुख्य अभियंताओं या अभियंता प्रमुख की कमी नहीं है, वरन् यह संकट राज्य के निर्माण सम्बन्धी सभी विभागों में उपस्थित है । इस संकट से निपटने के लिए सरकार को तत्काल कारगर निर्णय लेना पड़ेगा । इस संकट के पीछे मूल कारण यह है कि वर्तमान में मुख्य अभियंता के लिये 8 वर्ष अधीक्षण अभियंता के कार्यावधि और अधीक्षण अभियंता के लिये 8 वर्ष कार्यपालक अभियंता के लिये समय सीमा निर्धारित है । अत: राज्य की आवश्यक विकास की गति को कायम रखने अथवा बढ़ाने हेतु इन अभियंताओं के 8 वर्षो की कार्यावधि की सीमा को आवश्यकतानुसार 2-3 वर्षो की अवधि घटाकर इस संकट से उबारा जा सकता है । इस कार्य में तत्काल युद्व स्तर पर विभागीय अभियंताओं और पदाधिकारियों तथा राज्य सरकार को ही कार्य का निपटारा करना पड़ेगा । अन्यथा राज्य को अविस्मरणीय क्षति उठानी पड़ेगी ।

इस संबंध में समिति विभाग से दिनांक 18.2.2002, 27.2.2002 और 9.3.2002 की बैठकों में विमर्श किया इन तीनों तिथियों की अनुलग्नक 1,,2 और 3 के रूप में संलग्न है ।

निष्कर्ष और अनुशंसाएं

1. राज्य सरकार तत्काल प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना को प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन हेतु युद्व स्तर पर इस सम्बन्ध में तमाम बाधाओं को दूर करने की तत्परता दिखाये ।
2. ग्रामीण अभियंत्रण संगठन के तहत जितने भी अस्थाई सृजित पद और अस्थाई अंचल अथवा प्रमंडल है, उसे सभा द्वारा प्रतिवेदन पारित होने के एक माह के अन्दर हर स्थिति में स्थाई अथवा 2002 के 1 अप्रील से 2009 के 31 मार्च तक लगातार चेक प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अस्थाई अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था करें ।
3. अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता हेतु कमश: कार्यपालक अभियंता और अधीक्षण अभियंताओं की कार्यावधि को 8 वर्ष की सीमा को आवश्यकतानुसार 2-3 वर्ष की अवधि घटाने की कार्रवाई का कार्यान्वयन सभा द्वारा प्रतिवेदन पारित होने के 15 दिनों के अन्दर पूरा किया जाय ।

4. इस योजना को समय पर पूरा करने हेतु संबंधित विभाग के साथ -साथ अन्य विभाग को भी पूरक कार्यो के सम्पादित करने में तत्परता दिखाने हेतु आवश्यक कार्यदिश सभी विभाग को निर्देशित किया जाय ।

पटना :
दिनांक 9 मार्च, 2002

9. 3. 2002

अनुलग्नक- 1

ज्योति

लोक लेखा समिति की बैठक तिथि 18.02.2002 को 4.00 बजे अपराह्न में समिति कक्ष में हुई ।

उपस्थिति :

श्री रामदेव वर्मा, सभापति

श्री मुनेश्वर चौधरी, सदस्य

श्री शोभा कान्त मंडल, सदस्य

श्री गिरिधारी यादव, सदस्य

श्री राम चन्द्र राय, सदस्य

श्री मुन्नी लाल यादव, सदस्य

श्री हरि नारायण सिंह, सदस्य

श्री राम नाथ ठाकुर, सदस्य

श्री चण्डी प्रसाद, सदस्य

श्री बालदेव महतो, सदस्य

डा0 मु0 शमीम, सदस्य

महालेखाकार

श्री मान सिंह, उप महालेखाकार

विभागीय पदाधिकारी:

श्री जयन्त दास गुप्ता, सचिव, ग्रामीण विकास

श्री शिवेन्द्र नारायण ठाकुर, उप सचिव, ग्रामीण विकास

सभापतिः सचिव, ग्रामीण विकास विभाग आपसे एक ही आग्रह है कि आज 18-2 है और 23-2 तक आप यह रिपोर्ट दीजिये डिटेल्स में (1) प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 2000-2001 का आवंटन किस तिथि को केन्द्र सरकार से प्राप्त हुआ, वह आवंटित राशि क्या थी ?
(2) आजतक उक्त वित्तीय वर्ष के तहत राज्य में निर्मित होने वाला सड़क का क्यों नहीं निर्माण किया गया इसका क्या कारण है उस वित्तीय वर्ष में कुल कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण करना था ? और कितना खर्च करना था इन तीनों विन्दुओं पर आप प्रतिवेदन दिजिये और अपने रीजन को भी स्पष्ट कर देंगे कि इंजीनियर इन चीफ और चीफ इंजिनियर के पद कब से कब तक खाली रहे और टेन्डर क्यों नही हो पाया, अपना फैक्चुअल पोजीशन रख दिजिये प्रतिवेदन में और यह प्रतिवेदन 23.02.2002 तक मिल जानी चाहिए, इसपर हमलोग रिपोर्ट दे देंगे और इस विषय पर आपसे अंतिम रूप से विचार हमलोग 27.02.2002 को 12.00 बजे वाल्मी परिसर में होने वाली बैठक में करेंगे ।

इसके साथ ही साथ एक यह भी सूचना दीजिये कि आप डिपार्टमेंट के तहत कुल कितने डिवीजन हैं जो टेम्पोरेरी हैं ओर उन डिवीजनों का नाम क्या क्या हे और कब से टेम्पोरेरी चल रहे है और इसमें आपने चेक काटने का औथरिटी पिछले पॉच सालों में किस-किस तिथि को दिया । एस0ई0 और कार्यपालक अभियंता चार्ज में कितने है, कितने पोस्ट क्रियेटेड है और कितने खाली हैं । 27.02.2002 की 12.00 बजे की बैठक में वित्त विभाग के पदाधिकारियों को भी बुलाया जाय । इसकी चिट्ठी जाय, न जाय गुप्ता जी आपको आना है ।

सचिव, ग्रामीण विकासः हमने नोट कर लिया है 27.02.2002 को 12.00 बजे वाल्मी में मै आऊँगा ।

बैठक स्थगित हुई ।

अनुलग्नक:-2

लोक लेखा समिति की दिनांक 27.02.2002 को 12.00 बजे मध्याह्न वाल्मी स्थित कक्ष में हुई बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति:-

1-	श्री रामदेव वर्मा	सभापति,
2-	श्री प्रभुदयाल सिंह	सदस्य,
3-	श्री हरि नारायण सिंह	सदस्य,
4-	श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव	सदस्य,
5-	श्री रामनाथ ठाकुर	सदस्य,
6-	श्री शोभाकांत मंडल	सदस्य,
7-	श्री रामचन्द्र राय	सदस्य,
8-	श्री मुनि लाल यादव	सदस्य,
9-	श्री राम नारायण मंडल	सदस्य,
10-	श्री प्रेम कुमार	सदस्य,

वित्त विभाग:-

1- श्री वैद्यनाथ मिश्र, विशेष सचिव,वित्त विभाग

विभागीय पदाधिकारी:-

1- श्री सुधीर प्रसाद, विशेष सचिव, ग्रा0वि0वि0
2- श्री एन0एन0 माधवन, मु0नि0पदा0, बिहार,
3- श्री जयन्त दास गुप्ता, सचिव,ग्रा0वि0वि0,
4- श्री विजय कुमार, मु0नि0प0 के सचिव ।

ग्रामीण विकास विभाग:

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव: जबाव लाये है ?

सचिव: लिखित जवाब तो नहीं लाये है,फाईल सबमीशन में है ।

श्री हरिनारायण सिंह: आपके अस्थायी डिवीजन जो है उनको चेक ऑथरिटी का अधिकार देने की बात कही गई थी ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव: यह जानकारी माँगी गई थी कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत वर्ष 2000-01 का आवंटन किस तिथि को हुआ, बक टेन्डर प्रकाशित हुआ, आवंटित राशि क्या थी , आज तक उक्त वित्तीय वर्ष के तहत राज्य में निर्मित होने वाली सड़कों में क्यों नहीं कार्य किया गया, इसका क्या

कारण है और इस वित्तीय वर्ष में कुल कितना कि0मी0 सड़क का निर्माण करना था और कितना खर्च करना था ? पिछले वित्तीय वर्ष का भारत सरकार से जो आवंटन आया, उसकी तिथि भी चाहिए । किस डेट को आपको प्राप्त हुआ, सबके बारे में सूचना माँगी गई थी ।

सचिव: दो डेट को आवंटन प्राप्त हुआ था । एक 15 मार्च,01 को और एक 31 मार्च,2001 को । कुल 149 करोड़ 90 लाख रूपया दिया गया । इस वित्तीय वर्ष में जो कोई अभी योजना स्वीकृत नहीं हुआ है, 300 करोड़ मिलने का इस वर्ष का एक्सपेक्टेशन है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव: विभाग को तो लिखित रिपोर्ट आज की बैठक में देना था, जबकि कोई लिखित रिपोर्ट विभाग को अबतक नहीं दिया गया । अगली बैठक में निश्चित रूप से दे देंगे ।

:3: अंजनी: लो0से0स0 (मुख्य): दिनांक 27.02.02
वाल्मी परि0:12.00 बजे म0

श्री राम नाथ ठाकुर: वर्ष 2000-01 में जो पथं की मंजूरी हुई उसका भी नहीं हुआ ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव: वर्ष 2000-01 में कितना किलोमीटर सड़क बनाना था ।

सचिव: 815 किलोमीटर सड़क बनना था ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव: इसमें कितना पथ बना है ?

सचिव: भभुआ जिला से सिर्फ रिपोर्ट आया है जिसमें डेढ़ लाख रूपया खर्च हुआ है । इसमें अभी प्रगति नहीं हुई है अब हमलोग प्रगति लायेंगे ।

श्री हरिनारायण सिंह: हमारे क्षेत्र में आपका जो डिवीजन है वह अस्थायी है उसको आप स्थायी करायें ।

सचिव: जितने अस्थायी डिवीजन है उनको स्थायी हेतु फैसला लिया गया है 48 डिवीजन में 21 डिविजन अस्थायी है ।

श्री हरिनारायण सिंह: अस्थायी डिवीजन को कब-कब चेम मिला है ?

सचिव: यह रिपोर्ट नहीं है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव: आप इस संबंध में माननीय मंत्रीजी से सम्पर्क करके दूसरे विभाग के जो अभियंता प्रमुख है, जल संसाधन विभाग के जो अभियंता ,मुख है, उनके साथ बैठक करके एक सप्ताह के लिए प्रतिनियुक्ति करा लीजिए और इसमें जितना आपका काम है उसको करा लीजिए उस बैठक में मुख्य अभियंता को भी बुलायें । समिति की यही अपेक्षा कार्य जल्द से जल्द हो ।

सचिव: 107 योजना पहले की है और 225 योजना जे अभी स्वीकृत होने वाली है । लगभग दोनों मिलाकर 300 करोड़ रूपये की योजना है ।

सभापति: सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण संगठन को 23.02.02 को ही उत्तर देना था लेकिन उन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिया । समिति चाहती है कि 9.3.02 की बैठक के पूर्व हर स्थिति में जवाब आ जाये नहीं तो समिति इसे गंभीरता से लेगी ।

ग्रामीण अभियंत्रण संगठन के साथ दिनांक 9.3.2002 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में बैठक होगी ।

अनुलग्नक- 3

लोक लेखा समिति की बैठक तिथि 9.3.2002 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में समिति कक्ष में हुई ।

उपस्थिति:

श्री रामदेव वर्मा, सभापति
श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, सदस्य
श्री शोभाकान्त मंडल, सदस्य
श्री गिरधारी यादव, सदस्य
श्री हरि नारायण सिंह, सदस्य
श्री राम नाथ ठाकुर, सदस्य
श्री प्रभु दयाल सिंह, सदस्य

महालेखाकार कार्यालय

श्री मान सिंह, उप महालेखाकार

वित्त विभाग
श्री वैद्यनाथ मिश्र, विशेष सचिव

विभागीय पदाधिकारी
श्री जयन्त दास गुप्ता, सचिव, ग्रामीण विकास
श्री सुधीर कुमार, विशेष सचिव, ग्रामीण विकास
श्री गंगाधर लाल दास, उप सचिव, मंत्रिमंडल समन्वय विभाग एवं निर्वाचन

सभापति: डिवीजन का कब सृजन हुआ, बहुत दिनों से टेम्पोरेरी डिवीजन है, चीफ इंजीनियर का पोस्ट बहुत दिनों से खाली है इसका रीजन देते हुए सब इनफौमेंशन आप आज शाम तक दे दीजिये ।

सचिव, ग्रामीण विकास: ठीक है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम कबतक पूरा होगा क्योंकि 149 करोड़ रूपया पिछले वित्तीय वर्ष से चला आ रहा है और काम पूरा हीं हो रहा है और फिर अगले वित्तीय वर्ष का मिल जायेगा तो यह कबतक कैरी ओवर करेगा ?

सचिव,ग्रामीण विकास: 2000-2001 का पैसा 31 मार्च के बाद मिला वर्तमान वित्तीय वर्ष के काम के लिए ।

श्री विजेन्द्र प्र0 यादव: इस वित्तीय वर्ष में तो पिछले का काम खत्म हो जाना चाहिए था जबकि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष भी खत्म होने जा रहा है । अभी आपकी पहले की राशि ही 149 करोड़ रूपया और आपकी 285 करोड़ की योजना है तो कुल मिलाकर 450 करोड़ रूपये की हो जायेगी । तो पूरा काम आप कैसे कर पायेंगे जबकि आपकी पहले की ही 149 करोड़ बाकी है । और आपने अबतक अपनी हैरारकी भी ठीक से स्थापित नहीं कर रखी है । प्रधानमंत्री सड़क योजना 2007 तक चलनी है

टर्न-1/ज्योति/लो0ले0स0 मुख्य

9.03.2002:	इसपर बिहार सरकार का क्या आउट लूक है, सरकार के स्तर पर क्या निर्णय हुआ हे कि कैसे खर्च करें, सरकार ने क्या रिभियू किया है?
सचिव,ग्रामीण विकास:	मुख्यमंत्री के स्तर पर बैठक आयोजित होने वालसी है । इसके लिए राज्य स्तरीय स्थायी समिति है ग्रामीण सड़क योजना की जिसकी बैठक मुख्य सचिव स्तर पर होती है ।
सभापति:	राज्यस्तरीय समिति कितनी बार बैठी है ?
सचिव,ग्रामीण विकास:	इस साल तीन बार बैठी है ।
सभापति:	उसकी प्रोसिडिंग्स दे सकते है तो आप उसकयी छाया प्रति तीनों बैठकों की दीजिये ।
सचिव, ग्रामीण विकास:	ठीक है, वह हम देंगे ।
श्री विजेन्द्र प्र0 यादव:	कंक्लुजन क्या हुआ ?
सचिव, ग्रामीण विकास:	वहीं नहीं न हुआ । भारत सरकार को जो 285 करोड़ की योजना भेजी गई है उसी के बारे में निर्णय हुआ निविदा के बारे में निर्णय नहीं हुआ ।
श्री विजेन्द्र प्र0 यादव:	निविदा की प्रक्रिया पूरी होने तक की कई स्टेजेज है, हैरारकी क्या सौल्यूशन निकलेगा, इसके लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट कहाँ है, पॉलिसी से क्या मतलब है, निविदा कौन निकालेगा ?
सभापति:	पिछली बार माँगा गया था कि पथ का निर्माण क्यों नही अबतक प्रारम्भ हो सका वह भी नहीं दिया गया है ।
श्री विजेन्द्र प्र0 यादव:	इंस्ट्रूमेंट आपकी खत्म है आप बार-बार कहते है कि इंजीनियर इन चीफ नहीं है, चीफ इंजीनियर नहीं है, एस0ई0 नहीं है, एस्टीमेंट कौन सैक्शन करेगा, इन सब के बारेमें कभी डिसकान भी हुआ है क्या ?
सचिव, ग्रामीण विकास:	पथ निर्माण विभाग से इंजीनियर प्रतिनियुक्ति के आधार पर आते है वहाँ पर मुख्य अभियंता के स्तर के लिए कोई अभियंता नहीं है इसलिए तीनों पद खाली है और अधीक्षण अभियंता के 50 पद रिक्त है । एस0ई0 के स्तर पर 8 साल की कालावधि निर्धारित की गई है जो आठ साल तक एस0ई0 रहेंगे वे ही मुख्य अभियंता के पद पर आवेंगे, इसके लिए कालावधि में परिवर्तन करना होगा ।
सभापति:	सरकार ने इसपर निर्णय लिया कि नहीं ?
सचिव,ग्रामीण विकास:	सरकार ने समिति गठित की है जिसमें कार्मिक सचिव और सभी कार्य विभाग के सचिव है लेकिन उसमें निर्णय नहीं हुआ ।
सभापति:	हमको लगता है कि मुख्य अभियंता से इंजीनियर चीफ के लिए चार साल की कालावधि निर्धारित है
श्री विजेन्द्र प्र0 यादव:	इसके लिए पी0डब्लू0डी0 कोड बदलने की जरूरत है यह भी तो सरकारी स्तर पर जायेगा, ऐडहौक से क्यों चला रहे है ।
सचिव,ग्रामीण विकास:	ऐडहौक मे प्रभारी एस0ई0 करके भी नहीं है नहीं तो उनका भी कालावधि काउंट हो सकता है ।
श्री विजेन्द्र प्र0 यादव:	प्रौसेस चेंज करना, रूल ऐक्ट चेंज करने का काम गवर्नमेंट का है, हैरारकी को इंस्टीच्यूट करना उसका नव निर्माण करना गवर्नमेंट का दायित्व है, कैसे काम

कीजियेगा यह दायित्व आपका है, आखिर यह पैसा खर्च कैसे होगा, यह भारत सरकार तो नही करेगी और इसके चलते राज्य लूजर हो जायेगा । हू वील बी रेसपौसबुंल पसैन ? यह पैसा आगे भी खर्च होने की संभावना नहीं है इसलिए इसपर सम्यक निर्णय लेने की आवश्यकता है । मध्यप्रदेश में इसके लिए औथरिटी बना दिया गया है जिसमें इंजीनियर इन चीफ चीफ इंजीनियर सब और जरूरत पड़ने पर एस0ई0 वगैरह बाहर से भी लेते है, यहाँ भी उस तरह से हो बाहर से लोगों को लिया जाय तो इम्पलायमेंट भी जेनरेट होगा, कुछ तो आपको करना होगा ।

श्री गिरधारी यादव: झारखंड प्रदेश ने फेज वन का काम कर दिया और दूसरा चालू करने वालसे है सेम कंडिशन में, जो यहाँ से लोग गए है वे ही इस काम को अंजाम दिए है ।

सभापति: शाम तक गुप्ताजी जितनी भी वाँछित सूचनाएँ है कमिटि को अवश्य उपलब्ध करा दीजिये ।

मंत्रिमंडल समन्वय विभाग के सचिव का पत्रांक-431 दिनांक 8.03.2002 समिति के समक्ष रखा गया ।

श्री एस0एस0 माधवन, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सरकार के सचिव का पत्रांक 698 दिनांक 8.03.2002 को भी समिति के समक्ष रखा गया ।

उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय: निर्वाचन विभाग से कुछ रिपोर्ट माँगा गया था वह लाये है ।

सभापति: जो रिपोर्ट आप लाये है वह समिति कार्यालय को सबमिट कर दें । जबतक इस विभाग के सक्षम पदाधिकारी नही रहेंगे तबतक रिपोर्ट पर विचार विमर्श कैसे होगा ?

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के सचिव, श्री गिरिश शंकर का पत्र समिति के समक्ष रखा गया जिसमें कहा गया है कि अपरिहार्य कारण से आज की बैठक में वे भाग नहीं ले सकेंगे ।

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के सचिव, श्री गिरिश शंकर से पूछा जाय कि आज 10 बजे पूर्वाहन से 5 बजे अपराह्न तक का उनका सरकारी क्या कार्यक्रम है, उससे समिति को लिखित अवगत करावें ।

प्रधानमंत्री सड़क योजना से संबंधित लोक लेखा समिति का विशेष प्रतिवेदन सं0- आज की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया ।

बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद के कृषि उत्पादन बाजार समिति, रोसड़ा से गैर कानूनी तरीके से कृषि उत्पादन बाजार समिति बखरी को 25 लाख रू0 ऋण के रूप में और 17 लाख अनुदान के रूप में वर्ष 91-92 में दिए गए के संबंध में विशेष प्रतिवेदन सं0 आज की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया ।

आज 2.00 बजे अपराहन की बैठक जो पूर्व से तय थी को स्थगित किया जाता है ।

लोक लेखा समिति की अगली आंतरिक बैठक दिनांक 13.03.02 को 12.00 बजे मध्याहन और दिनांक 25.03.02 को 12.00 बजे मध्याह्न में होगी ।

बैठक स्थगित हुई ।

बि0स0मु0 (एल0ए0)166--डी.टी.पी.--1,500--16-3-2002

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार पटना द्वारा मुद्रित
2002